

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-15/2015- 6539 /खाद्य/पटना, दिनांक- 17.8.2015

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक करने के पूर्व जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ से विचार-विमर्श कर बैठक का आयोजन करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है, कि दिनांक- 28.01.2015 को सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रतिनिधियों के 09 (नौ) सूत्री मांगों पर हुए बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- 1380 दिनांक- 13.02.2015 में अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक में संघ के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया था ।

2. प्रश्नगत मामले में उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-08 दिनांक- 31.01.2014 द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता समिति एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति में जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के दो-दो प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है । अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति पूर्व से गठित है और इसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने हेतु उक्त अनुश्रवण समिति में संशोधन की आवश्यकता होगी ।

अतः विभागीय बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-1380 दिनांक- 13.02.2015 में लिये गये निर्णय के आलोक में की गयी समीक्षा के पश्चात् यह तथ्य परिलक्षित हुआ है, कि अनुश्रवण समिति में जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने में व्यवहारिक कठिनाई है । परन्तु खाद्यान्न के वितरण में पूर्ण पारदर्शिता हेतु अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक के पूर्व जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ के प्रतिनिधि के साथ उनके विचार लिये जाए तदोपरान्त अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाय । साथ ही अनुश्रवण समिति की बैठक में जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ द्वारा दिये गये विचारों पर चर्चा की जाय, ताकि इस योजना की बेहतर तरीके से अनुश्रवण किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- प्र07-विविध-15/2015- 6539 /खाद्य/पटना, दिनांक- 17.08.2015

प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव